न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 34/2020

1 कुशलाराम पुत्र दुल्लाराम जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 22 रामलीला मैदान सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र मालीराम मृतक।
1/1 श्रीमती मणी देवी पत्नी शंकरलाल।
1/2 राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल।
1/3 भोजराज पुत्र शंकरलाल।
1/4 सुभाष पुत्र शंकरलाल।
1/5 रामू पुत्र शंकरलाल।
1/6 संतोष देवी पुत्री शंकरलाल।
2 मोहनलाल पुत्र मालीराम समस्त जाति सैनी निवासीगण दूर्गा कॉलोनी के पास रामपुरा जाने वाला रास्ता सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020
द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जो बउनवानी
कुशलाराम बनाम शंकरलाल आदि वाद पत्र संख्या
19/2015 में पारित किया गया अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सादिक अली गौरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—14-12-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 595/1 वाके कस्बा सीकर के सन्दर्भ में उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी का वाद न तो धारा 11 सीपीसी से ना ही धारा 10 सीपीसी से बाधित है वाद संख्या 102/2002 का कभी भी मेरिट पर निस्तारण नहीं हुआ उक्त वाद के निर्णय से वादी कतई पाबन्द नहीं है उक्त वाद संख्या 102/2002 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को स्वीकार कर निर्णय कर देने के तथ्य का वाद बिन्दु विचरित किया जा सकता था जो वाद साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी का विचारण किया जाकर ही निर्णय किया जाना न्याय संगत था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

फिर हस्तगत वाद व पूर्व वाद संख्या 102/2002 में वाद कारण भिन्न है प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पेरा संख्या 6 में स्पष्ट वाद कारण अंकित किया है प्रतिवादीगण ने वादी के वाद का कोई जवाब भी पेश नहीं किया भंवरी देवी की मृत्यु पर भी उसके सिविल अधिकार समाप्त नहीं होते है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेखित प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान में वादी का वाद कंवर नहीं होता है उक्त के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है वादी का वाद धारा 151 सीपीसी में भी खारिज होने योग्य नहीं है कानूनन वाद का अंतिम निर्णय साक्ष्य दर्ज कर ही होता है ऐसी परिस्थिति में भंवरी देवी का वादग्रस्त संपदा में किसी प्रकार का हक नहीं होना विचारण न्यायालय ने इस स्तर पर बिना कोई साक्ष्य लिये ही गलत रूप से मानकर गलत निर्णय दिया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी जिस भंवरी देवी का स्वंय को पति बता रहा है उस भंवरी देवी का ही उक्त सम्पत्ति मे कोई हित नहीं था क्योंकि जब भंवरी देवी तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण के मध्य चले विभिन्न मुकदमों में कोई हक अधिकार भंवरी देवी का ही नही माना है तो ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा आपत्ति जो न तो किसी प्रकार से भंवरी देवी से सम्बंधित है तथा ना ही भंवरी देवी इस सम्पत्ति से सम्बंधित है। मुकदमा भंवरी देवी बनाम सोनकी मुकदमा नम्बर 01/2002 निर्णित दिनांक 21.10.2002 वाद जो उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद खारिज कर दिया गया तथा जिसकी अपील 61/2002 भी राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 21.07.2004 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार इसी उद्घोषणा का वाद स्वंय भंवरी देवी का ही कोई हक हिस्सा न मानकर न्यायालयों द्वारा मुकदमों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

का पूर्व में निस्तारण कर दिया गया है तो पुनः उसी आधार पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है। वाद भंवरी देवी बनाम शंकरलाल मुकदमा नम्बर 158/20021 निर्णित दिनांक 12.08.2002 वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद खारिज कर दिया गया जिसकी अपील 40/2002 राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 21.07.2004 को सारहीन मानकर खारिज दी। इस प्रकार इसी उद्घोषणा का वाद भंवरी देवी के उत्तराधिकारी के रूप में वादी ने पेश किया है, उसका कोई हक व अधिकार न मानकर न्यायालयों द्वारा पूर्व मे ही निस्तारित कर दिया गया है पुनः उसी आधार पर वाद चलने योग्य नही है। वाद भंवरी देवी बनाम अलमा मुकदमा नम्बर 04/2002 निर्णित दिनांक 1.07.2002 वाद उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था यह वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील 77/2002 भी राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा 21.07.2004 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार इसी उद्घोषणा का वाद स्वंय भंवरी देवी का कोई हक अधिकार न होना मानकर न्यायालयों द्वारा पूर्व में निस्तारित कर दिया गया है। तो ऐसे में पुनः उसी आधार पर यह दावा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है। इस कारण विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी अपीलांट द्वारा विचाराधीन वाद भंवरी देवी के फुट स्टेप पर प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मुकदमा नम्बर 01/2002 भंवरी देवी बनाम सोनकी निर्णय दिनांक 21.10.2002, अपील न्यायालय की अपील संख्या 61/2002 निर्णय दिनांक 21.07.2004, दावा संख्या 158/2001 भंवरी देवी बनाम शंकरलाल निर्णय दिनांक 12.08.2002, अपील न्यायालय की अपील संख्या 40/2002 निर्णय दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

21.07.2004, दावा संख्या 04/2002 भंवरी देवी बनाम अलका निर्णय दिनांक 19.07.2002 अपील न्यायालय की अपील संख्या 77/2002 निर्णय दिनांक 21.07.2004 के अवलोकन से जाहिर है कि भंवरी देवी द्वारा विचाराधीन भूमि के सन्दर्भ में प्रस्तुत पूर्व वाद खारिज किये जा चुके है। अब भंवरी देवी की मृत्यु के उपरान्त वादी अपीलांट द्वारा उसी भूमि के सन्दर्भ में प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 से बाधित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अत विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14-12-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *